भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 2429

उत्तर देने की तारीखः 10.12.2024

नशीली दवाओं की लत

2429. श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा गुजरात सहित देशभर में नशीली दवाओं की लत के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में नशीली दवाओं के आदी युवाओं को नशे की लत से मुक्त कराने के लिए कोई उपाय किए गए हैं:

(ग) यदि हां, तो उक्त उद्देश्य के लिए क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं;

(घ) क्या गुजरात में उक्त उद्देश्य के लिए कोई धनराशि आवंटित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (ग): गुजरात सहित देश भर में नशीली दवाओं की लत के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों का ब्यौरा **अनुबंध-I** में संलग्न है।

(घ) से (ङ): ड्रग्स की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) के अंतर्गत, मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य

कार्य योजना के लिए तथा गैर सरकारी संगठनों को योजना के दिशा-निर्देशों में निर्धारित कार्यों के लिए धनराशि जारी की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात को जारी की गई निधियां इस प्रकार हैं:

वित्तीय वर्ष	जारी की गई धनराशि (रुपए करोड़ में)
2021-22	2.35
2022-23	2.53
2023-24	3.11

अनुबंध-I

"नशीली दवाओं की लत" पर दिनांक 10.12.2024 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2429 के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित विवरण

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देश में नशीली दवाओं की मांग को कम करने के लिए नोडल मंत्रालय है। नशीली दवाओं की लत की समस्या से निपटने के लिए इस विभाग ने नशीली दवाओं की मांग कम करने हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) तैयार की है और इसे कार्यान्वित कर रहा है, जो एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसके तहत निम्नलिखित को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैः

i. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा निवारक शिक्षा और जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण, ड्रग्स की मांग में कमी के लिए कार्यक्रम आदि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को।

ii. नशे का सेवन करने वालों के लिए एकीकृत पुनर्वास केन्द्रों (आईआरसीए), किशोरों में नशीली दवाओं के शीघ्र प्रयोग की रोकथाम के लिए समुदाय आधारित पीयर लेड इंटरवेंशन (सीपीएलआई), आउटरीच और ड्रॉप इन सेंटर (ओडीआईसी) और जिला नशामुक्ति केन्द्रों (डीडीएसी) के संचालन और रखरखाव के लिए गैर-सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठन को; और

iii. नशा मुक्ति उपचार सुविधाओं (एटीएफ) के लिए सरकारी अस्पतालों को।

2. एनएपीडीडीआर योजना के तहत ड्रग्स की मांग कम करने के लिए निम्नलिखित कार्य किए गए हैं:

i. नशे के आदी व्यक्तियों के लिए 347 एकीकृत पुनर्वास केंद्र (आईआरसीए) स्थापित किए गए हैं जो नशीली दवाओं के उपयोगकर्ताओं को परामर्श, विषहरण/नशामुक्ति, देखभाल और सामाजिक मुख्यधारा में पुनः एकीकरण के साथ-साथ आंतरिक उपचार प्रदान करते हैं। **इन 347**

आईआरसीए में से 7 आईआरसीए गुजरात में स्थित हैं।

ii. 46 समुदाय आधारित सहकर्मी नेतृत्व हस्तक्षेप (सीपीएलआई) कार्यक्रम 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ मिलकर नशीली दवाओं के खिलाफ जागरूकता पैदा करने और जीवन कौशल सिखाने के लिए काम करते हैं। **इन 46 सीपीएलआई में से 3 सीपीएलआई गुजरात में स्थित हैं।**

iii. 74 आउटरीच और ड्रॉप इन सेंटर (ओडीआईसी) स्थापित किए गए हैं जो स्क्रीनिंग, मूल्यांकन और परामर्श के प्रावधान के साथ सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं और उसके बाद उपचार और पुनर्वास सेवाओं के लिए रेफरल और लिंकेज प्रदान करते हैं। **इन 74 ओडीआईसी में से 3 ओडीआईसी गुजरात में स्थित हैं।**

iv. सरकारी अस्पतालों में 117 नशा मुक्ति उपचार सुविधाएं (एटीएफ) हैं। **इन 117 एटीएफ में से 5 एटीएफ गुजरात में स्थित हैं।**

v. 71 जिला नशामुक्ति केंद्र (डीडीएसी) स्थापित किए गए हैं जो आईआरसीए, ओडीआईसी और सीपीएलआई द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी तीन सुविधाएं एक ही छत के नीचे प्रदान करते हैं। **इन 71 डीडीएसी में से 1 डीडीएसी गुजरात में स्थित है।**

vi. इन सभी सुविधाओं को **जियो-टैग** किया गया है।

vii. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशा मुक्ति के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन 14446 चलाई जा रही है, ताकि इस हेल्पलाइन के माध्यम से मदद मांगने वाले व्यक्तियों को प्राथमिक परामर्श और तत्काल रेफरल सेवाएं प्रदान की जा सकें।

viii. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नवचेतना मॉड्यूल, शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए गए हैं, ताकि छात्रों (6वीं-11वीं कक्षा), शिक्षकों और अभिभावकों को नशीली दवाओं पर निर्भरता, इससे निपटने की रणनीतियों और जीवन कौशल के बारे में जागरूक किया जा

सके।

ix. नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) 15 अगस्त, 2020 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 272 सबसे संवेदनशील जिलों में शुरू किया गया था और अब इसे देश भर के सभी जिलों में विस्तारित कर दिया गया है। नशा मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य जन-सामान्य तक पहुंचना और नशीली दवाओं के सेवन के बारे में जागरूकता फैलाना है, जिसका फोकस उच्च शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों और स्कूलों पर है। इसमें नशे पर निर्भर लोगों की पहचान की जाती है, अस्पतालों और पुनर्वास केंद्रों में परामर्श और उपचार सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

3. अब तक, एनएमबीए के तहत जमीनी स्तर पर की गई विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, 13.57+ करोड़ लोगों को नशीली दवाओं के बारे में जागरूक किया गया है, जिनमें 4.42+ करोड़ युवा और 2.71+ करोड़ महिलाएं शामिल हैं। 3.85+ लाख शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी ने यह सुनिश्चित किया है कि अभियान का संदेश देश के बच्चों और युवाओं तक पहुंचे। गुजरात राज्य में एनएमबीए के तहत 7.69+ लाख युवाओं, 1.39+ लाख महिलाओं और 7000 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी सहित 28.60+ लाख लोगों को नशीली दवाओं के बारे में जागरूक किया गया है।

******